


उपरोक्त पार्श्वों ने मेरे समक्ष उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती नस्खत विधिकीय (टे सुधार की संज्ञा में प्राप्ती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्राप्तीगण में प्राप्तीगण की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	पूर्व इन्दाज		स्वीकृत किया गया नया इन्दाज			
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
(1)	अफीम खां S/O यल्लीनखां हि 1/16 मौम - कायमखावी	405	0.03	जीवण खां S/O चारसीनखां हि 1/16 मौम - कायमखावी	405	0.03
	सा. देह खातेदार	406	20-01	सा. देह खातेदार	406	20-01
	मौम खाता खदसुर	02	20-04	मौम खाता खदसुर	02	20-04

कमांक : 314
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. तहसीलदार डीडवाना।


 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना
 दिनांक : 22/3/20

कमांक :
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवारी हल्का को नेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन न... निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना
 दिनांक :



तहसीलदार डीडवाना